लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल

क्रमांक / मान्यता / फी. / 2024 / 1039 भोपाल दिनांक 28.6.2024

प्रति,

परियोजना प्रबंधक

एन.आई.सी. भोपाल

विषयः—मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के प्रावधानों के तहत फीस संरचना संबंधित जानकारी पोर्टल पर अर्थदण्ड सहित अपलोड किए जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के प्रावधानों के तहत फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु , लोक शिक्षण संचानालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / मान्यता / 2024 / 850 भोपाल दिनांक 07.06.2024 के अनुसार अंतिम तिथि 24.06.2024 नियत की गई थी।

2/ मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल के पत्र क्रमांक 285 / 1987746 / 2024 / 20—23 भोपाल दिनांक 30.05.2024 के बिन्दु क्र. 03 मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम—3 के उप नियम—4 के अनुक्रम में प्रक्रिया फीस के साथ साथ प्रक्रिया फीस का पांच गुना राशि विलंब के लिए निम्न तालिका अनुसार अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जाए :—

क्र.	विद्यालय में दर्ज छात्र संख्या / नामांकन	संस्थाओं हेतु जमा किये जाने वाला निर्धारित प्रक्रिया शुल्क (प्रतिवर्ष)	निर्धारित समयावधि के बाद जानकारी अपलोड करने पर अर्थदण्ड (पांच गुना)
1	2	3	4
1	विद्यालय जिनका नामांकन 2000 से अधिक है	रूपये 5000 / —	रूपये 25000 / —
2	विद्यालय जिनका नामांकन 1001 से 2000 तक है।	रूपये 3000 / —	रूपये 15000 / —
3	विद्यालय जिनका नामांकन 501 से 1000 तक है।	रूपये 2000 / —	रूपये 10000 / —
4	विद्यालय जिनका नामांकन 500 तक है।	रूपये 1000 / —	रूपये 5000 / —

अतः उक्त के क्रम में कृपया पोर्टल पर जिन संस्थाओं द्वारा निर्धारित तिथि 24.26.2024 के उपरांत जानकारी अपलोड की जाना है उन विद्यालयों के लिये उपरोक्त वर्णित तालिका के कॉलम—2 के क्रम में कॉलम—4 अनुसार अर्थदण्ड सहित प्रक्रिया फीस की राशि लेने संबंधी प्रावधान मॉड्यूल में तत्काल समाहित किया जाए।

28.6

(शिल्पा गुप्ता)

आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ0क्रमांक / मान्यता / फी. / 2024 / 1040 भोपाल दिनांक 28.6.24

प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक मनानीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल।
3. आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।

4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल प्रदेश भोपाल।
6. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्यप्रदेश।
11. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समस्त बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र., सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.सी., एवं अन्य बोर्ड) से मान्यता प्राप्त समस्त निजी विद्यालय, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.